विधानसभा/अति–आवश्यक/
15वीं राजस्थान विधानसभा/सप्तम सत्र

राजस्थान सरकार
संसदीय कार्य विभाग

क्रमांक : प.26(9)संसद/2014 जयपुर, दिनांक : 22/02/2022

–: परिपत्र :–

विषय :– विधान सभा प्रश्नों की ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में

विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों से प्राप्त प्रश्न संबंधित विभागों को ऑनलाईन आन्सरिंग इन्फोर्मेशन सिस्टम (OASIS) पर ऑनलाईन प्रेषित किये जाते है। उक्त प्रणाली पर पंजीकृत उप सचिव/सहायक सचिव स्तर के विभागीय नोडल अधिकारियों को प्रश्न प्रेषित होते ही मैसेज भी प्राप्त होते हैं एवं साथ ही विभागों को भेजे गये सभी प्रश्न उक्त ऑनलाईन पोर्टल एवं विधान सभा की वेबसाइट rajassembly.nic.in पर Question मैन्यू में प्रदर्शित भी होते हैं। पूर्व में प्रश्नों की प्रतियां (हार्डकॉपी) भी समस्त विभागों को भिजवाई जाती रही हैं लेकिन ऑनलाईन पोर्टल की व्यवस्था को देखते हुए अब प्रश्नों की हार्डकॉपी भेजा जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में भविष्य में अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विभागाध्यक्ष एवं चेजिंग सेक्शन को प्रश्नों की हार्डकॉपी प्रेषित नहीं की जायेगी।

समस्त विभागों के नोडल अधिकारी प्रयुक्त प्रणाली के माध्यम से विधान सभा प्रश्नों को ऑनलाईन ही प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने एवं अपने स्तर पर ही सभी प्रश्न अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विभागाध्यक्ष एवं चेजिंग सेक्शन को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण पालना करने हेतु संबंधित अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक रूप से निर्देशित कर दिया जाए।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान,जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
5. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर ।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त दिशा–निर्देश संसदीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव